Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 176-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 28, 2016 (KARTIKA 6, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अक्तूबर, 2016

संख्या विविध–1ए/जे०ई० (वी०ए०) 2016/23861.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब अधिसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित में प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जांये, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम 2016, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 में, अनुसूची IV में टिप्पणी में, क्रम संख्या 8 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"9. ट्रांजिट ओरियंटिड विकास की दशा में, संपरिवर्तन प्रमार यथा अनुपात आधार पर अर्थात् 0.25 फर्श क्षेत्र अनुपात की प्रत्येक बढ़ाई गई स्लैब हेतु उद्गृहीत किए जाएंगे, अनुसूची–IV में सम्बन्धित उपयोग हेतु विहित दरों के अनुसार 25 प्रतिशत के फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए लागू प्रभारों के समकक्ष अतिरिक्त प्रभार लागू होंगे। तथापि संपरिवर्तन प्रभारों का सम्पूर्ण भुगतान ट्रांजिट ओरियंटिड विकास पॉलिसी के अधीन नई अनुज्ञप्तियों हेतु भुगतान योग्य होगा।

10. संपरिवर्तन प्रभार मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं की दशा में उपयोगों के लिए आनुपातिक उद्गृहीत किए जाएंगे।

11. नई एकीकृत लाईसेंसिंग पॉलिसी हेतु, संपरिवर्तन प्रभार 1.0 फर्श क्षेत्र अनुपात की दशा में आवासीय प्लाटिड कॉलोनी के लिए विहित दर का 1.5 गुणा तथा 1.25 फर्श क्षेत्र अनुपात की दशा में 2.0 गुणा उद्गृहीत किए जाएंगे।

12. दीन दयाल जन आवास योजना के अधीन अनुज्ञात वहनयोग्य प्लाटिड आवासीय कॉलोनियों के लिए, संपरिवर्तन प्रभार में छूट होगी।"।

एस.एस. प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 28th October, 2016

No. MISC-1A/JE(VA)/2016/23861.— The following draft of the rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in its application to the State of Haryana which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), is hereby published as required by Sub-section (1) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, together with the objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh, from any person in respect of the draft rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Rules, 2016.

2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas, Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in Schedule IV, under the heading 'Notes', after serial number 8 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:-

"9. In case of Transit Oriented Development, the conversion charges shall be levied on pro-rata basis i.e. for every increased slab of 0.25 FAR, the additional charges equivalent to the charges applicable for FAR of 25% as per the rates prescribed for respective use in Schedule – IV shall be applicable. However, full payment of conversion charges shall be payable for fresh licences under Transit Oriented Development Policy.

10. The conversion charges shall be levied proportionate to the uses in case of mixed land use projects.

11. For New Integrated Licencing Policy, the conversion charges shall be levied 1.5 times of the rate prescribed for residential plotted colony in case of 1.0 FAR and 2.0 times in case of 1.25 FAR.

12. For Affordable Plotted Residential Colonies permitted under Deen Dayal Jan Awas Yojana, the conversion charges are exempted.".

S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department, Chandigarh.

54742–C.S.–H.G.P., Chd.